साधारण बीमा निधि से संबंधित एफएक्यू

समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा

1. समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (राज्यकर्मी) योजना क्या है एवं यह किन पर लागू है?

योजना के अन्तर्गत बीमित कार्मिक की दुर्घटनावश मृत्यु/क्षति होने की स्थिति में मनोनीत/कार्मिक को पॉलिसी नियमानुसार वर्तमान में भुगतान देय होता है। यह योजना वर्ष 1995 से लागू है। यह योजना राजस्थान केडर के अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के साथ राजस्थान सरकार के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर अनिवार्य रूप से लागू है।

2. समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (राज्यकर्मी) योजना के तहत प्रीमियम दर क्या है, प्रीमियम कब देय होता है एवं बीमाधन कितना है?

इस योजना के तहत वर्तमान में प्रीमियम दर 220/– प्रति कार्मिक है। अधिकारियों/कर्मचारियों के अप्रेल माह के वेतन से कटौती की जाती है। योजनान्तर्गत वर्तमान में बीमाधन 3,00,000/– प्रति कार्मिक है।

3. यदि किसी कार्मिक का अप्रेल माह का वेतन समय पर भुगतान नहीं किया जाता है तो समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (राज्यकर्मी) योजना के तहत कार्मिक का जोखिम किस प्रकार वहन किया जा सकता है?

राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार यदि किसी कार्मिक के अप्रेल माह के वेतन का समय पर भुगतान नहीं होता है तो कार्मिक द्वारा ई ग्रास वेबसाइट पर स्वयं के स्तर से चालान तैयार कर 31 मई तक ऑफ लाइन अथवा ऑनलाइन प्रीमियम राशि का भुगतान किया जाना आवश्यक है।

4. समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (राज्यकर्मी) योजना की पॉलिसी अवधि क्या है? क्या यह योजना परिवीक्षाधीन अधिकारियों/कर्मचारियों पर भी लागू है?

इस योजना के तहत राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के साधारण बीमा निधि कार्यालय द्वारा मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार के नाम पॉलिसी जारी की जाती है जिसकी अवधि प्रतिवर्ष 1 मई से आगामी 30 अप्रेल तक होती है। यह योजना परिवीक्षाधीन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी अनिवार्य आधार पर लागू है।

5. क्या कर्मनिरूपित (वर्क चार्ज्ड) कर्मचारी भी समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (राज्यकर्मी) योजना के दायरे में सम्मिलित है?

नहीं। कर्मनिरूपित कर्मचारी इस योजना में सम्मिलित नहीं है।

6. पॉलिसी अवधि के मध्य में राजकीय सेवा में आने वाले कार्मिक समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (राज्यकर्मी) योजना के तहत किस प्रकार बीमित हो सकते है?

पॉलिसी अवधि के बीच में राजकीय सेवा में नवीन कार्यग्रहण करने वाले कार्मिक प्रो–रेटा आधारित प्रीमियम राशि अपने वेतन के माध्यम से अथवा ई ग्रास चालान के माध्यम से इस विभाग को भुगतान कर योजना के तहत बीमित होते है। इस विभाग में प्रीमियम प्राप्ति की दिनांक से पॉलिसी की शेष अवधि तक ऐसे कार्मिक बीमित माने जायेंगे।

7. समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (राज्यकर्मी) योजना के तहत ई ग्रास से चालान तैयार करते समय ध्यान में रखे जाने वाले बिन्दु क्या हैं?

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सम्बन्धित जिला कार्यालय को सलेक्ट करें। बजट मद 8011–00–107–01 को सलेक्ट करें तथा रिमार्क के स्थान पर पूर्ण विवरण अंकित करें। प्रीमियम राशि के भुगतान के उपरान्त चालान की प्रति एवं अग्रेषण पत्र सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के संबंधित जिला कार्यालय में प्रस्तुत करें।

8. समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (राज्यकर्मी) योजना के अन्तर्गत क्या सभी को ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र पूर्ति किया जाना आवश्यक है?

हाँ। राज्य सरकार के निर्देशानुसार समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (राज्यकर्मी) योजना के अन्तर्गत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र पूर्ति किया जाना आवश्यक है। कार्मिक द्वारा स्वयं की एस एस ओ लॉग–इन आई डी पासवर्ड की सहायता से ऑनलाइन प्रपोजल फार्म की पूर्ति की जा सकती है। यदि किसी कार्मिक द्वारा पूर्व में ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र पूर्ति किया हुआ है एवं उसमें अब कोई संशोधन किया जाना अपेक्षित नहीं हो तो कार्मिक को पुनः ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र की पूर्ति किया जाना आवश्यक नहीं है। ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र की हार्डकॉपी पर कार्मिक के हस्ताक्षर करवा कर आहरण एवं वितरण अधिकारी को स्वयं के पास रखना चाहिये एवं क्लेम की स्थिति में प्रस्ताव पत्र की हार्डकॉपी मूल ही क्लेम फार्म के साथ संलग्न करते हुए राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के संबंधित जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

9. जी पी ए (राज्यकर्मी) योजनान्तर्गत दावा निस्तारण का कार्य कहॉ पर होता है?

योजना के तहत दावा निस्तारण का कार्य अप्रैल 2011 से जिलास्तर पर विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है। जिला कार्यालय द्वारा दावा निस्तारण से पूर्व संभागीय कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त किया जाता है।

10. समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (पुलिसकर्मी) योजना किन पर लागू है? योजना के तहत कितनी पॉलिसियाँ जारी की जा रही हैं?

यह योजना राजस्थान सरकार के पुलिस विभाग के समस्त वर्दीधारी पुलिसकर्मियों पर लागू है। योजना के अन्तर्गत दो पॉलिसियाँ जारी की जा रही हैं :–(i) स्वयं का अंशदान एवं (ii) राजकीय अंशदान। इन दोनों पॉलिसियों के तहत वर्दीधारी पुलिसकर्मियों की तीन श्रेणियाँ हैं :–

(1) कांस्टेबल एवं हैडकांस्टेबल
(2) सहायक उप निरीक्षक से निरीक्षक
(3) उपाधीक्षक एवं उच्च स्तर

11. जी पी ए पुलिसकर्मी (स्वयं का अशंदान) बीमा योजना के तहत प्रीमियम की कटौती कब की जाती है? प्रीमियम दर क्या है? एवं बीमाधन क्या है?

इस दुघर्टना बीमा योजना के अन्तर्गत वर्दीधारी पुलिसकार्मिकों के फरवरी माह के वेतन से प्रीमियम राशि की कटौती की जाती है। श्रेणीवार प्रीमियम दर एवं बीमाधन वर्तमान में निम्नानुसार हैः–

कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल 1350/– .....10 लाख रूपये

सहा. उप निरीक्षक से निरीक्षक 2700/– .....20 लाख रूपये

उपधीक्षक एवं उच्च स्तर 4050/– .....30 लाख रूपये

जी. पी. ए. पुलिसकर्मी (स्वयं का अंशदान) की पॉलिसी अवधि 1 अप्रेल से आगामी वर्ष की 31 मार्च तक होती है।

12. जी पी ए पुलिसकर्मी (राजकीय अंशदान) बीमा योजना के तहत प्रीमियम का भुगतान कैसे होता है एवं बीमाधन क्या है?

इस योजना के तहत पुलिस विभाग द्वारा एकमुश्त प्रीमियम राशि राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के बजट मद 8011–00–105–02–01 में जमा कराई जाती है। प्रीमियम दर एवं बीमाधन श्रेणीवार निम्नानुसार होता हैः–

कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल 1350/– .....10 लाख रूपये

सहा. उप निरीक्षक से निरीक्षक 2700/– .....20 लाख रूपये

उपधीक्षक एवं उच्च स्तर 4050/– .....30 लाख रूपये

इस योजना के तहत वर्तमान में पॉलिसी अवधि 28.08.2020 से 27.08.2021 तक है।

13. क्या पुलिस विभाग की विशेष शाखाओं में पदस्थापित वर्दीधारी पुलिसकर्मियों हेतु पृथक से भी कोई विशेष दुर्घटना बीमा योजना राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग द्वारा संचालित है?

हाँ पुलिस विभाग की विशेष शाखाओं (ए.टी.एस., बी.डी.एस., ई.आर.टी., ए.एस.सी., एस.ओ.जी., डॉग स्क्वायड) के लिए पृथक से भी विशेष दुर्घटना बीमा संचालित की जा रही है। इसके लिए पुलिस विभाग से 10,000/– प्रति कार्मिक की दर से प्रीमियम प्राप्त होता है, योजनान्तर्गत बीमाधन 25,00,000/– रूपये है। इस योजनान्तर्गत किसी आंतकवादी गतिविधि के कारण पुलिसकर्मी की मृत्यु/क्षति होने पर पॉलिसी नियमानुसार भुगतान देय होता है। पॉलिसी अवधि के मध्य में इन विशेष शाखाओं में स्थानान्तरित होकर आये पुलिसकार्मियों के लिए प्रो–रेटा आधारित प्रीमियम का भुगतान का अतिरिक्त भुगतान किये जाने पर ही ये बीमित माने जाते हैं। इस योजना का संचालन साधारण बीमा निधि मुख्यालय से किया जा रहा है।

14. जी पी ए (विद्युतकर्मी) योजना किन पर लागू है?

समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (विद्युतकर्मी) योजना राज्य की पाँचों विद्युत कंपनियों – (1) राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (2) राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (3) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (4) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं (5) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू है।

15. जी पी ए (विद्युतकर्मी) योजना के अन्तर्गत प्रीमियम दर क्या है एवं बीमाधन कितना है?

योजना के तहत प्रीमियम दर एवं बीमाधन निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	विद्युत कंपनी	प्रीमियम दर	बीमाधन
1.	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	250/–	2,00,000/–

2.	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	250/–	2,00,000/–
3.	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	600/–	2,00,000/–
4.	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	600/–	2,00,000/–
5.	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	600/–	2,00,000/–

16. जी. पी. ए. (विद्युतकर्मी) योजना के अन्तर्गत पॉलिसी अवधि क्या है?

इस योजना के अन्तर्गत जिला कार्यालय में प्रीमियम प्राप्त होने की दिनांक से आगामी एक वर्ष हेतु पॉलिसी जारी की जाती है। पॉलिसी अवधि के बीच में नए कार्मिकों को सम्मिलित कराने हेतु विद्युत कम्पनी द्वारा प्रोरेटा आधारित प्रीमियम विभागीय बजट मद 8011–00–105–02–01 में जमा कराये जाने तथा इन कार्मिकों की सूची इस विभाग के जिला कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने पर विभाग द्वारा पृष्ठांकन जारी कर उन नए कार्मिकों को पॉलिसी में सम्मिलित किया जाता है। ये नए कार्मिक, प्रीमियम विभाग में जमा होने की दिनांक से शेष पॉलिसी अवधि तक के लिए बीमित माने जाते है।

17. जी पी ए (विद्युतकर्मी) योजना के तहत पॉलिसी जारी करने एवं दावों के निस्तारण का कार्य किस स्तर पर किया जाता है?

पॉलिसी वर्ष 2012–13 से पॉलिसी जारी करने एवं दावा निस्तारण का कार्य जिला कार्यालय स्तर पर विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है। जिला कार्यालयों द्वारा विभाग के संभागीय कार्यालयों से अनुमोदन प्राप्त कर दावा निस्तारण की कार्यवाही की जाती है।

18. जी पी ए (बोर्ड/निगमकर्मी) योजना किन पर लागू है?

यह योजना राजस्थान सरकार के विभिन्न बोर्ड/निगम/कम्पनी/स्वायतशाषी निकायों के कार्मिकों पर लागू है। योजना अनिवार्य आधार पर नहीं होकर बोर्ड/निगमों के स्वैच्छिक आधार पर लागू है। विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों /सहकारी भूमि विकास बैंकों/नगर निगमों/नगर परिषदों /नगर पालिकाओं/अन्य राजकीय उपक्रमों के कार्मिकों का दुर्घटना बीमा इस योजना के तहत किया जा सकता है।

19. जी पी ए (बोर्ड/निगमकर्मी) योजना हेतु प्रीमियम दर क्या है एवं बीमाधन कितना है?

प्रीमियम दर 250/– प्रति कार्मिक है एवं बीमाधन 2,00,000/– रूपये प्रतिकार्मिक है।

20. जी पी ए (बोर्ड/निगमकर्मी) योजना की पॉलिसी अवधि क्या है?

संबंधित जिला कार्यालय में बजट मद 8011–00–105–02–01 में प्रीमियम जमा होने की दिनांक से आगामी एक वर्ष हेतु पॉलिसी जारी की जाती है। पॉलिसी अवधि के मध्य में नवीन कार्मिकों का प्रोरेटा आधार पर प्रीमियम प्राप्त होने पर प्रीमियम प्राप्ति दिनांक से शेष पॉलिसी अवधि तक के लिए पृष्ठांकन जारी कर नवीन कार्मिकों को बीमित किया जाता है।

21. जी पी ए (बोर्ड/निगमकर्मी) योजना के अन्तर्गत अण्डरराइटिंग एवं दावा निस्तारण का कार्य किस स्तर पर होता है?

पॉलिसी जारी करने का कार्य जिला कार्यालय स्तर पर होता है। जिला कार्यालय द्वारा संभागीय कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त कर दावा निस्तारण किया जाता है।

22. समुह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजनाओं के अन्तर्गत क्या सामान्य (प्राकृतिक) मृत्यु की स्थिति में भी भुगतान देय है?

नहीं, मृत्यु का आसन्न कारण (Proximate cause of death) दुर्घटना होने की स्थिति में ही भुगतान देय होता है।

23. समुह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजनाओं में दुर्घटनाओं को किस प्रकार परिभाषित किया गया है?

योजना के अन्तर्गत दुर्घटना से हुई मृत्यु/क्षति का आशय किसी ऐसी शारीरिक चोट से है जो बाह्य, हिसांत्मक एवं दृश्य माध्यम (External, Violent, Visible Means) से हो। उदाहरणार्थ– सड़क दुर्घटना, सर्प/जहरीले जानवर का काटना, गिरना, डूबना, इलेक्ट्रिक करंट, हत्या हो जाना, यंत्रों का उपयोग करते समय क्षति/मृत्यु होना इत्यादि।

24. समुह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजनाओं में दावा प्रस्तुत करने की समय सीमा क्या है?

दुर्घटना दिनांक के 6 माह की अवधि में संबंधित कार्यालय के माध्यम से दावा प्रपत्र मय दस्तावेज विभाग मे जिला कार्यालय में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

25. समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजनाओं में दावा प्रपत्र के साथ कौनसे दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं?
निर्धारित दावा प्रपत्र के साथ FIR, FR, PMR, मृत्यु प्रमाण पत्र, इलाज का विवरण, मूल प्रस्ताव पत्र, मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट (क्षति की स्थिति में), दावेदार के वोटर आईडी/ आधार कार्ड की प्रति, PAN कार्ड की प्रति, मोबाइल नम्बर इत्यादि दस्तावेजों को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

26. समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजनाओं में मनोनित की मृत्यु की स्थिति में भुगतान किसे देय होता है?
मनोनयन के अभाव की स्थिति में निम्नांकित व्यक्तियों को समान अनुपात में राशि देय होगी :–

(a) पति/पत्नी, पुत्रों एवं अविवाहित पुत्रियों को।

(b) यदि बिन्दु (a) में वर्णित सदस्य जीवित नहीं हों तो विधवा पुत्रियों, 18 से कम उम्र के भाइयों, अविवाहित/विधवा बहनों, माता एवं पिता को।

(c) यदि बिन्दु (a)एवं (b) में कोई सदस्य जीवित नहीं हों तो सक्षम न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के आधार पर।

27. समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजनाओं में किन स्थितियों में भुगतान देय नहीं होता है?
आत्महत्या/आत्मक्षति अथवा इसके प्रयास करने पर, बीमारी/पागलपन के कारण मृत्यु होने पर, आपराधिक उद्देश्य से कानून के उल्लंघन करने पर, दुर्घटना के पश्चात प्रीमियम प्राप्त होने पर, डूबने या जहरीले जानवर/सर्प के काटने के मामलों में FIR, FR, PMR नहीं होने इत्यादि स्थितियों में दुर्घटना बीमा के तहत भुगतान देय नहीं है।

28. समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजनाओं में जिला कार्यालयों के निर्णयों के विरूद्व अपील के क्या प्रावधान है?

जिला कार्यालय के निर्णय के विरूद्व 3 माह की अवधि में रिव्यू/रिविजन के लिए निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, बीमा भवन, सवाई जयसिंह हाइवे, बनीपार्क, जयपुर को दावेदार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।

29. समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजनाओं के दावा निस्तारण का जिला स्तर पर विकेन्द्रीकरण कब से किया गया है?

जीपीए–राज्यकर्मी/पुलिसकर्मी/बोर्ड–निगमकर्मी योजनाओं कें तहत पॉलिसी वर्ष 2011–12 से तथा जी.पी.ए. विद्युतकर्मी योजना के तहत पॉलिसी वर्ष 2012–13 से दावा निस्तारण के कार्य का जिला कार्यालय स्तर पर विकेन्द्रीकरण किया जा चुका है। इन योजनाओं के तहत जिला कार्यालयों द्वारा संभागीय कार्यालयों से अनुमोदन प्राप्त कर दावा निस्तारण किया जाता है।

विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा

30. विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा (राजकीय विद्यालय) योजना किन पर लागू है?

यह योजना राजकीय विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 एवं कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों पर लागू है। इस योजना के तहत ''विद्यार्थी'' से तात्पर्य दुर्घटना के दिन राजकीय विद्यालय की नामांकन पंजिका में दर्ज विद्यार्थी से है। दुर्घटना दिनांक को राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सभी विद्यार्थी पॉलिसी के अन्तर्गत बीमित माने जायेंगे।

31. विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा (राज. विद्यालय) योजना के तहत राज्य बीमा विभाग को प्रीमियम का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है?

राजकीय विद्यालयों की कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय द्वारा तथा कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा एकमुश्त आधार पर इस विभाग के बजट मद 8011–00–105–02–01 में प्रीमियम राशि जमा कराई जाती है। इस विभाग द्वारा विद्यालयों से अथवा विद्यार्थियों से सीधे ही कोई प्रीमियम राशि प्राप्त नहीं की जाती है।

32. विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा (राज. विद्यालय) योजना के तहत पॉलिसी अवधि क्या होती है?

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग (साधारण बीमा निधि) द्वारा योजनान्तर्गत दो पॉलिसीयाँ जारी की जाती हैं। प्रथम – कक्षा 1 से 8 के लिए एवं द्वितीय – कक्षा 9 से 12 के लिये। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालयों द्वारा एडवांस में प्रीमियम का भुगतान कर दिया जाता है एवं विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 15 अगस्त से आगामी वर्ष की 14 अगस्त तक के लिये दो पृथक – पृथक पॉलिसियाँ जारी कर दी जाती है।

33. विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा (राज. विद्यालय) योजना के अन्तर्गत बीमाधन कितना है?

कक्षा 1 से 8 एवं कक्षा 9 से 12 तक की दोनों पृथक–पृथक पॉलिसियों में बीमाधन एक–एक लाख रूपये है।

34. विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा (राजकीय विद्यालयों के अतिरिक्त) योजना किन पर लागू है?

यह योजना राज्य के समस्त निजी विद्यालयों, राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों, राजकीय एवं निजी विश्व विद्यालयों, राजकीय एवं निजी तकनीकी व उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत विद्यार्थियों पर लागू है।

35. विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा (राजकीय विद्यालयों के अतिरिक्त) योजना के अन्तर्गत राज्य बीमा विभाग को प्रीमियम का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है?

संबंधित शिक्षण संस्थान द्वारा इस विभाग के जिला कार्यालय में बजट मद 8011–00–105–02–01 में प्रीमियम राशि जमा कराई जाती है एवं विद्यार्थियों की सूची भी दो प्रतियों में उपलब्ध कराई जाती हैं

36. विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा (राजकीय विद्यालयों के अतिरिक्त) योजना के अन्तर्गत प्रीमियम दर एवं बीमाधन कितना है?

वर्तमान में, प्रीमियम दर एवं बीमाधन निम्नानुसार है–

(i) कक्षा नर्सरी से आठवीं तक	25/–	50,000/–
(ii) कक्षा 9 से 12 वीं तक	50/–	1,00,000/–
(iii) समस्त राजकीय/निजी महाविद्यालयों/ विश्वविद्यालयों/तकनीकी शिक्षण संस्थानो में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु	100/–	2,00,000/–

37. विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा (राजकीय विद्यालयों के अतिरिक्त) योजना के अन्तर्गत पॉलिसी अवधि क्या होती है?

शिक्षण संस्थान द्वारा विभागीय जिला कार्यालय में बजट मद 8011–00–105–02–01 में प्रीमियम राशि जमा कराई जाती है। प्रीमियम राशि विभाग में जमा होने की दिनांक से आगामी एक वर्ष हेतु पॉलिसी जारी की जाती है।

38. विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजनाओं के अन्तर्गत अण्डरराइटिंग एवं दावा निस्तारण का कार्य किस स्तर पर होता है?

पॉलिसी जारी करने एवं दावा निस्तारण से संबंधित कार्य जिला कार्यालय द्वारा किया जाता है।

39. विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजनाओं के अन्तर्गत जिला कार्यालय के निर्णय के विरूद्ध अपीलीय प्रावधान क्या है?

जिला कार्यालय के निर्णय की दिनांक से तीन माह की अवधि में संभागीय कार्यालय में तथा संभाग स्तरीय कार्यालय के निर्णय की दिनांक से तीन माह की अवधि में निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को रिव्यू/रिविजन हेतु दावेदार द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।

40. क्या विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना तहत किया जाने वाला भुगतान, किसी अन्य राजकीय योजना से प्राप्त सहायता राशि से प्रभावित होता है?

नहीं । विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा पॉलिसी के तहत किया जाने वाला भुगतान अन्य राजकीय योजना से प्राप्त अनुग्रह राशि से प्रभावित नहीं होता है।

41. विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजनाओं में चिकित्या राशि पुनर्भरण के सम्बन्ध में क्या प्रावधान हैं?

विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजनाओं में मृत्यु की स्थिति में एफआईआर, एफआर, पीएमआर, मृत्यु प्रमाण पत्र उपस्थिति पंजिका के संबंधित अंश की छाया प्रति इत्यादि दस्तावेज तथा क्षति की स्थिति में एफआईआर, इलाज का विवरण, मेडिकल बोर्ड सर्टिफिकेट, उपस्थिति पंजिका आदि दस्तावेज संलग्न करने होते हैं। चिकित्सकीय पुनर्भरण के प्रकरणों में दवाइयों/जाँचों के मूल बिल भी प्रस्तुत करना आवश्यक है तभी पॉलिसी में अंकित सीमा तक पुनर्भरण किया जा सकता है।

42. विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा (राजकीय विद्यालयों के अतिरिक्त) योजना के अन्तर्गत " विद्यार्थी " को किस प्रकार परिभाषित किया गया है?

निजी विद्यालयों, राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों/तकनीकी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी जिनका प्रीमियम शिक्षण संस्था द्वारा इस विभाग को प्रेषित किया गया है एवं शिक्षण संस्था द्वारा विभाग को प्रेषित सूची में जिसके नाम का उल्लेख है वही योजना के तहत पॉलिसी अवधि तक बीमित होंगे।

विविध साधारण बीमा पॉलिसीयाँ

43. साधारण बीमा निधि से संबंधित विभिन्न बीमा पॉलिसियों का संचालन किस बजट मद से किया जाता है?

स्मूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (राज्यकर्मी) योजना का संचालन बजट मद 8011–00–107–01 से किया जाता है। साधारण बीमा से संबंधित अन्य समस्त बीमा पॉलिसियों का संचालन बजट मद 8011–00–105–02–01 से किया जाता है।

44. साधारण बीमा निधि द्वारा संचालित विभिन्न पॉलिसियों में जोखिम वहन किस दिनांक से किया जाता है?

भारतीय बीमा अधिनियम 1938 की धारा 64 वी.बी. के अनुसार एडवांस में प्रीमियम प्राप्त हुए बिना जोखिम वहन नहीं की जा सकती है। अतः नवीन पॉलिसी के मामले में प्रीमियम प्राप्त होने की दिनांक से जोखिम वहन की जाती है। वर्तमान पॉलिसी के नवीनीकरण की स्थिति में, वर्तमान पॉलिसी के एक्सपायर होने के अगले दिवस या प्रीमियम प्राप्ति की दिनांक, जो भी बाद में हो, से जोखिम वहन की जाती है।

45. साधारण बीमा निधि द्वारा किया जा रहा बीमा व्यवसाय किन अधिनियमों पर आधारित है?

भारतीय बीमा अधिनियम–1938 एवं भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास अधिकरण अधिनियम –1999

46. साधारण बीमा निधि की जिन पॉलिसियों पर वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) देय होता है, वहाँ पर जी. एस. टी. की दर क्या है?

वर्तमान में यह दर 18 प्रतिशत है।

47. साधारण बीमा निधि द्वारा जारी फिडिलिटी इंश्योरेंस के तहत स्टोरकीपर एवं कैशियर के लिए अधिकतम कितनी राशि का बीमा किया जाता है। एवं प्रीमियम दर क्या है?

स्टोरकीपर – 20,000/– रूपये

कैशियर – 35,000/–,50,000/–

प्रीमियम दर 5 रूपये प्रति एक हजार रूपये बीमाधन

48. फिडिलिटी इंश्योरेंस के तहत बीमा की विषयवस्तु क्या है?

संबंधित स्टोरकीपर/कैशियर द्वारा किये गये कपटपूर्ण/फर्जी कृत्य के कारण संस्थान को हुई मौद्रिक क्षति की क्षतिपूर्ति (बीमाधन की सीमा तक) संबंधित संस्थान को की जाती है।

49. साधारण बीमा निधि द्वारा अन्य कौनसी बीमा पॉलिसीयाँ जारी की जा रही है?

राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्ड, निगमों, कम्पनी, सहकारी संस्थाओं स्वायत्तशाषी निकायों की संपत्तियों के बीमा हेतु मनी, बर्गलरी, एम.बी.डी., मरीन–ट्रांजिट, सीपीएम–लोको, वर्कमैन कम्पनसेशन, इत्यादि पॉलिसियाँ भी साधारण बीमा निधि कार्यालय द्वारा जारी की जा रही हैं। इनका दावा निस्तारण भी साधारण बीमा निधि कार्यालय द्वारा ही किया जात है।

50. क्या साधारण बीमा निधि द्वारा वर्तमान में कुछ पॉलिसियों से संबंधित व्यवसाय को स्थागित किया हुआ है?

हाँ, राज्य सरकार के निर्देशानुसार 01.08.2011 से फायर, बॉयलर एवं एविएशन इंश्योरेंस को तथा 26.06. 2014 से मोटर इंश्योरेंस का कार्य साधारण बीमा निधि कार्यालय द्वारा स्थगित किया गया है।